न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 45/2019

प्रार्थीगण :–

1. अब्दुल सतार पुत्र श्री अनवर
2. अब्दुल गफार पुत्र श्री अनवर
3. मोहम्मद अयूब पुत्र श्री अनवर जातियान मुसलमान व्यापारी, निवासी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. बीजाराम पुत्र श्री लिखमाराम जाति सीरवी सोलंकी निवासी दुर्गाजी के बाडिया के सामने बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थिति :– प्रार्थीगण की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल, एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री अमरसिंह चौधरी, एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 2 सरकारी पैरोकार

:: आदेश :: **दिनांक** 6/10/2022

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा बिलाड़ा चक नं. 3 की सरहद में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 658 के खसरा नम्बर 4346/5 रकबा 2.10 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ आई हुई है। जिसमें प्रार्थीगण का सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्सा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। इस प्रकार उक्त खसरे की भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। प्रार्थीगण का 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है। पारिवारिक अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण से व्यर्थ नाराज रहता है एवं अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल करने से रोकने के लिए बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिये दावा माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है चूकि मौके पर प्रत्येक प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर निर्विवाद रूप

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

से काबिज है तथा काबिज काश्त है बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थीगण को जबरन लाठियों के बल पर बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी एवं प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेंगे तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में कच्चा या पक्का निर्माण भी कर देंगा। जिसकी क्षति पूर्ति रूपयों में किया जाना संभव नही है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो कस्बा बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 4346/5 रकबा 2.10 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ में प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में बेदखल नही करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे तथा उक्त खसरे की भूमि मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री अमरसिंह चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा, इसी प्रकार उक्त खसरा की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 बींजाराम का 1/2 हिस्सा है जो अप्रार्थी ने जरिये खरीद दिनांक 27.02.1981 को खातेदार इकबाल पुत्र भाणूजी उर्फ इब्राहीम जी जाति मुसलमान निवासी बिलाड़ा से खरीददार अप्रार्थी संख्या 1 उक्त खसरा नम्बर 4346/5 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा यानि 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि की खरीद कर कब्जा सुपुर्द किया गया, जिसके पड़ौस रजिस्ट्री अनुसार निम्न है उतर में केसाराम सीरवी का मकान, दक्षिण में आम रास्ता है, पूर्व में अनवर पुत्र इशाकजी के बंट की 1/2 हिस्से की भूमि जिस पर वह काबिज है, पश्चिम में दुसरी भूमि खसरा नम्बर 4346/4 है जो मैने आपको पहले ही बेच दी है, इसी अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त व खरीद व पड़ौस अनुसार ही बंटवाड़ा किया जाना है, साथ ही संलग्न नक्शा के लाल स्याही से मार्क ए से बी अनुसार मौके अनुसार तरमीम किया जाता है, ओर इस अनुसार व खरीद अनुसार बंटवाड़ा किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को किसी प्रकार का उजर एतराज नही है। इसी अनुसार पैरावाईज जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पद संख्या 1 व 2 का जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि की खरीद अनुसार व बैचाननामा के पडौस अनुसार कब्जा काश्त है। इसी अनुसार मौके पर काबिज चला आ रहा है, लेकिन प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को बेदखल कर कब्जा करने की धमकिया दी जा रही है, जिसका प्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 का जवाब इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का खरीद अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है, अप्रार्थी संख्या 1 न तो कभी नाराज है न ही किसी प्रकार की नाराजगी दिखाई, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 से नाराज रहता है, तथा अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थीगण को उनके हिस्से से किसी प्रकार की बेदखली की धमकिया इत्यादि नही दी गयी।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

पद संख्या 4 व 5 सरासर गलत होने से अस्वीकार है। अन्त में निवेदन किया किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। काउण्टर क्लेम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदसुदा भूमि खसरा नम्बर 4346/5 रकबा 2 बीघा 10 बिसवा में आई हुई है, जरिये खरीद दिनांक 27.02.1981 को खातेदार इकबाल पुत्र भाणूजी उर्फ इब्राहीम जाति मुसलमान से अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त खसरा में से 1/2 हिस्सा यानि 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि खरीद कर कब्जा सुपुर्द किया गया, वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बुवाई करवानी चाही तो प्रार्थीगण ने बुवाई नही करने की धमकिया दी, जिसका विरोध किया जाने पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 का परिवार को झुठे मुकदमें में फसाने की धमकिया दी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि के खरीद हुए लगभग 38 वर्ष से ज्यादा हो गये है, उसके बाद लगातार कब्जा काश्त करता चला आ रहा था लेकिन नाजायज रूप से प्रार्थीगण आपस में मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 को एलानिया धमकिया दी गयी कि हम संया में ज्यादा लोग है, तथा हमारा कोई कुछ नही बिगाड सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये रजिस्टर्ड खरीद व रजिस्टी में बताये पड़ौस अनुसार मौके पर उपरोक्त बताये नजरी नक्शा के लाल स्याही के मार्क ए से बी अनुसार ही मौके पर कब्जा है, इसलिए वाद प्रथम दृष्टया साबित है, सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है, अगर प्रार्थीगण अपने मंसूबे से कामयाब हो जाते है तो अप्रार्थी संख्या 1 को भारी नुकसान होगा। जिसका मूल्यांकन नही किया जा सकेगा। अन्त में काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 के खरीद व पडौस अनुसार उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावे।

इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर प्रार्थना पत्र का प्रार्थीगण की ओर से विस्तृत जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :– प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मूल रूप से कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की सयुक्त खातेदारीसुदा है तथा जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 में वर्णित प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से अनुसार मौके पर सयुक्त रूप से काबिज है एवं सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये व बिना प्रार्थीगण की सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित अपने हिस्से को अजनबी क्रेता को पड़ौस दर्शाते हुए बैचान, हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मूल्यों में नही आंका जा सकता। जबकि कानूनन अप्रार्थी संख्या 1 को

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बिना बंटवाड़ा के व बिना प्रार्थीगण की सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि को पडौस दर्शाते हुए अजनबी क्रेता को बैचान करने का कोई अधिकार नही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है क्योकि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की सयुक्त खातेदारी, सयुक्त कब्जाकाश्त की भूमि है, जो प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से प्रमाणित होता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त कृषि भूमि को बिना विभाजन किये बैचान करने का कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त कृषि भूमि कें रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थी संख्या 1 का काउण्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 4346/5 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 6/10/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा